न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहुजा आर..ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 180/2016

1. तरसेमसिंह पुत्र जलंधरसिंह जाति जटसिख निवासी साहिबसिंहवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – **वादी**

–:: बनाम ::–

1. जलंधरसिंह पुत्र टेकसिंह जाति जटसिख निवासी साहिबसिंहवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. हाकमसिंह } पुत्रान हजूरसिंह
3. जगरूपसिंह }
4. हरवंशसिंह पुत्र जोगेन्द्रसिंह
5. कुलदीपसिंह पुत्र गुरदेसिहं
6. नक्षत्रसिंह } पुत्रान महेन्द्रसिं
7. गुरदेवसिंह }
8. लाभसिंह }
9. लखविन्द्रसिंह }
10. गुरसेवकसिंह पुत्र स्वरूपसिंह
11. गमदूरसिंह पुत्र शामसिंह
12. सुरेन्द्र कौर जोजा गुरदेवसिंह
13. हरमेषसिंह } पुत्रान सुखमन्द्रसिंह
14. प्रहलादसिंह }
15. गुरदीपकौर पत्नी सुखमन्दरसिंह
16. बोहड़सिहं पुत्र बलबीरसिंह
17. हितेन्द्रसिंह } पुत्रान कृपालसिंह
18. अरविन्द्रपलसिंह }
19. परमिन्द्रकौर पुत्री कृपालसिंह
20. सुखदेवकौर पुत्र पुष्पेन्द्रसिंह
21. सिमरजीतसिह पुत्र पुष्पेन्द्रसिंह

   } जाति जटसिख निवासी साहिबसिंह वाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

22. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

– – **प्रतिवादीगण**

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् विभाजन

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री मोहनलाल माहर अधिवक्ता — वादीगण
2. पैरोकार राज — प्रतिवादी संख्या 22

–:: **निर्णय** ::– **दिनांक :– 26.06.2018**

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

वादी के दादा पालसिंह के नाम से चक 24 जैड के खाता संख्या 78/62 के मुश्तर्का खाता के मुरब्बा नम्बर 5, 14, 28, 29, 34 में कुल 11.117 हैक्टर कृषि भूमि में से 1.075 हैक्टर कृषि भूमि खातेदारी दर्ज कागजात माल है वादी के दादा का दिनांक 08.06.2016 को बमुकाम साहिबसिंहवाला में मृत्यु हो चुकि है। नकल प्रमाणित जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 तथा फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न वाद पत्र है।

वादी के दादा टेकसिंह नें अपनें जीवन काल में वादी की सेवा श्रृति से प्रसन्नचित होकर एक वसीयत दिनांक 15.05.2016 को वादी के पक्ष में निष्पादित की गई है चूंकि स्व. टेकसिंह नें अपनें जीवन काल में अपनें दोनों पुत्रियों की शादी में अच्छा दान दहेज दिया था अपनी कृषि का बेचान कर किया था। इसलिये आज वे अपनें घरों में खुशी से आबाद है।

वादी की वसीयत के आधार पर दादा श्री टेकसिंह की मृत्युपरान्त पिता प्रतिवादी संख्या 1 को वसीयत के आधार पर इन्तकाल देनें हेतु कहा तो वह दिनांक 01.08.2016 को कतई इन्कार हो गया यही वाद कारण है।

प्रश्नगत कृषि भूमि का कब्जा वादी के पास शान्ति पूर्वक चला आ रहा है इस प्रकार वादी प्रश्नगत कृषि भूमि 1.075 हैक्टर को वसीयत के आधार पर खातेदारी की घोषणा करवाकर तद्नानुसार खाता विभाजन की डिक्री प्राप्त करनें का अधिकारी है।

प्रश्नगत कृषि भूमि का कब्जा वादी के पास शान्ति पूर्वक चला आ रहा है इस प्रकार वादी प्रश्नगत कृषि भूमि 1.075 हैक्टर को वसीयत के आधार पर खातेदारी की घोषणा करवाकर तदनानुसार खाता विभाजन की डिक्री प्राप्त करनें का अधिकारी है।

प्रश्नगत कृषि भूमि का कब्जा दादा की मृत्युपरान्त शांति पूर्वक वादी के पास चला आ रहा है और आज भी कब्जा काश्त वादी का है मौके पर फसल सावणी पक कर तैयार है प्रतिवादी संख्या 1 जो शराबी क्वाबी इन्सान है। जबरन फसल उठाकर ले जाना चाहता है। यहीं नहीं वादी को बहुबल के आधार पर बेदलखल करना चाहता है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 खिलाफ वादी इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करनें का अधिकारी है, कि प्रतिवादी संख्या 1 वादी के कब्जा काश्त में ना तो स्वयं तथा ना ही अपनें किसी रिश्तेदार एवम् दोस्तों के माध्यम से मदाखलत बेजा नहीं करें।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 21 मुश्तर्का खाता में सहखातेदार होनें के कारण औपचारिक पक्षकार बनाये गये है, इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 22 भू–धारक होनें के कारण पक्षकार बनाया गया है।

अतः वाद वादी मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर अर्ज है, कि वाद पत्र निम्न प्रकार से सादर डिक्री फरमाया जावे :–

(क) वाके चक 24 जैड के खाता संख्या 78/62 के मुरब्बा नम्बर 5, 14, 28, 29, व 34 की 11.117 हैक्टर कृषि भूमि में से टेकसिंह की 1.075 हैक्टर आराजी को वादी की कृषि भूमि घोषित कर तदनानुसार अच्छी मे से अच्छी तथा बुरी में से बुरी का विभाजन किया जावे।

(ख) प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे कि वादी के कब्जा काश्त में ना तो स्वयं और ना ही अपनें रिश्तेदार एवम् मित्रों के सहयोग से कब्जा में मदाखलत बेजा नहीं करें।

(ग) अन्य कोई अनुतोष जो कानूनन वाजिब हो।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4, 6, 8 ता 11, 13 ता 15 के समन्न विधिवत तामिल होनें के बाद में प्र्याप्त अवसर दिये जानें पर भी न्यायालय में असालतन/वकालतन उपस्थित नहीं आनें पर उनके विरूद्ध दिनांक 30.08.2017 को पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

लगातार 3

उपखण्ड अधिकारी (राजस्थान)
श्रीगंगानगर

शेष प्रतिवादीगण की तलबी विधिवत नहीं होनें के कारण जरिये समाचार पत्र तलबी करवाई गई परन्तु प्रतिवादीगण न्यायालय में असालतन/वकालतन उस्थित नहीं आनें के कारण उनके विरूद्ध दिनांक 22.06.2018 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादी संख्या 22 स्टेट की और से राज पैराकार द्वारा जबाब दावा का मदवार जबाब पेश किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि राज्य हितों को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय पारित करनें का श्रम करें।

प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होनें के कारण किसी प्रकार का कोई प्रतिवाद नहीं होने से तनकीयात नहीं बनाई गई। वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई दौरानें बहस वादी के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा अपनें वाद पत्र को दौहराते हुए वाद वादी स्वीकार करनें हेतु निवेदन किया गया।

बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया वाद वादी प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया गया।

–:: आदेश ::–

अतः वाद वादी प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत चक 24 जैड के खाता संख्या 78/62 में मुश्तर्का खाता के मुरब्बा नम्बर 5, 14, 28, 29, 34 की कुल 11.075 हैक्टर भूमि मे से टेकसिह पुत्र पाल सिंह की 1.075 हैक्टर भूमि का वादी तरसेमसिंह पुत्र जलन्धरसिंह जाति जटसिख निवासी साहिबसिंहवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर को खातेदार घोषित किया जाता है।

वादी के हिस्सा एवम् कब्जा के अनुसार मय नक्शा में विभाजन के दौरान विभाजित होनें वाली भूमि में पंहुचनें हेतु रास्ते को दर्शाते हुए वर्तमान जमाबन्दी सहित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 18 ता 21 को मध्यनजर रखते हुऐ तथा बैक ऋण के संबंध में विभाजन प्रस्ताव भिजवानें हेतु लिखा जावे। आदेशानुसार प्राथमिक पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली वास्ते विभाजन प्रस्ताव दिनांक 29.06.2018 को पेश हो।

आदेश आज दिंनाक 26.06.2018 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के अन्तर्गत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत कालियां के मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर